

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ: पैराग्राफ 1.1.3)

राज्य शासन के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
भाग क. प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	63,176	79,652	93,877	1,03,508	1,20,290
(i) कर राजस्व (स्वयं)	22,889	27,084	33,122	38,786	44,765
राज्य वस्तु और सेवा कर (एसजीएसटी)	7,925	9,483	11,298	13,793	16,299
कृषि आय पर कर	—	—	—	—	—
बिक्री, व्यापार आदि पर कर.	4,236	5,341	6,450	6,513	6,880
राज्य उत्पाद शुल्क	4,636	5,107	6,783	8,430	10,142
वाहनों पर कर	1,148	1,373	1,757	2,048	2,318
स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	1,585	1,945	2,229	2,494	2,969
भू-राजस्व	938	950	869	848	819
माल और यात्रियों पर कर	80	48	60	73	275
अन्य कर	2,342	2,837	3,678	4,586	5,064
(ii) करेतर राजस्व	7,137	13,851	15,248	15,148	17,421
(iii) संघ करें और शुल्कों में राज्य का हिस्सा	20,338	28,571	32,358	38,482	43,844
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	12,812	10,146	13,148	11,092	14,261
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	5	5	6	5	5
3. ऋण और अग्रिमों की वसूली	104	88	117	26	23
4. कुल राजस्व और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	63,285	79,745	94,000	1,03,539	1,20,319
5. लोक ऋण प्राप्तियां	21,582	15,098	10,639	54,050	33,463
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	17,961	9,322	6,939	50,258	27,046
अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के तहत शुद्ध लेनदेन	—	—	—	—	—
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	3,620	5,777	3,700	3,791	6,417
6. संचित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	84,867	94,843	1,04,639	1,57,589	1,53,781
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	0	0	0	63	113
8. लोक लेखा प्राप्तियां	1,60,486	1,68,360	2,07,909	2,19,991	3,44,388
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	2,45,353	2,63,203	3,12,547	3,77,643	4,98,282
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	70,033	75,010	85,285	1,14,741	1,25,390
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	19,586	21,375	22,825	26,240	28,687
सामाजिक सेवाएँ	25,066	27,964	31,818	39,412	51,971
आर्थिक सेवाएं	24,255	24,558	29,499	47,791	43,374
सहायता अनुदान और योगदान	1,125	1,113	1,143	1,298	1,357
11. पूंजीगत व्यय	9,024	10,504	13,320	15,419	20,055
सामान्य सेवाएं	509	352	754	884	1,184
सामाजिक सेवाएँ	2,935	3,234	4,989	7,074	8,422
आर्थिक सेवाएं	5,581	6,919	7,577	7,460	10,449

वर्ष 2024-25 के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

12. ऋण और अग्रिमों का वितरण	51	324	86	312	322
13. आकस्मिकता निधि का विनियोग	0	0	0	0	0
14. कुल व्यय (10+11+12+13)	79,108	85,838	98,691	1,30,472	1,45,766
15. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	8,020	8,845	9,601	24,113	10,871
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	7,805	8,626	9,370	23,873	10,626
अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के तहत शुद्ध लेनदेन	—	—	—	—	—
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	215	220	230	240	244
16. आकस्मिकता निधि का विनियोग	—	—	—	—	—
17. संचित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	87,128	94,683	1,08,292	1,54,585	1,56,637
18. आकस्मिकता निधि संवितरण	0	0	0	77	137
19. लोक खाता संवितरण	1,58,252	1,68,008	2,03,429	2,23,002	3,41,480
20. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	2,45,380	2,62,692	3,11,721	3,77,664	4,98,253
भाग ग. घाटा					
21. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+) (1-10)	-6,857	4,642	8,592	-11,233	-5,099
22. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय आधिक्य (+) (4-13)	-15,822	-6,093	-4,691	-26,933	-25,447
23. प्राथमिक घाटा (-)/प्राथमिक आधिक्य (+) (21+23)	-10,189	51	1,691	-20,135	-16,495
भाग घ. अन्य डेटा					
24. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	5,633	6,144	6,382	6,798	8,952
25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता।	1,125	1,113	1,143	1,298	1,357
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का लाभ उठाया गया (दिन)	30	38	15	99	9
अर्थोपाय अग्रिम का लाभ उठाया गया (दिन)	30	38	15	99	9
ओवरड्राफ्ट का लाभ उठाया गया (दिन)	0	0	0	0	0
27. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	0	1	0	22	1
28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	3,52,328	4,11,613	4,58,891	5,12,107	5,67,880
29. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अंत)	92,666	99,173	1,01,696	1,28,213	1,53,212
30. बकाया गारंटी (वर्ष के अंत)	19,836	19,524	20,958	21,891	20,763
31. अधिकतम राशि की गारंटी (वर्ष के अंत)	26,695	29,948	30,023	31,663	23,402
भाग ङ. राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक (प्रतिशत में)					
I संसाधन जुटाना					
स्वयं का कर राजस्व/जीएसडीपी	6.50	6.58	7.22	7.57	7.88
स्वयं का गैर-कर राजस्व/जीएसडीपी	2.03	3.37	3.32	2.96	3.07
स्वयं का राजस्व/जीएसडीपी	8.52	9.95	10.54	10.53	10.95
स्वयं का राजस्व/कुल व्यय	37.96	47.69	49.01	41.34	42.66
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/जीएसडीपी	22.45	20.85	21.51	25.48	25.67
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	125.22	107.77	105.13	126.05	121.18
राजस्व व्यय/कुल व्यय	88.53	87.39	86.42	87.94	86.02
सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	73.11	73.01	74.86	77.98	78.36
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	11.41	12.24	13.50	11.82	13.76
पूंजीगत व्यय/जीएसडीपी	2.56	2.55	2.90	3.01	3.53
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन*					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/जीएसडीपी	-1.95	1.13	1.87	-2.19	-0.90

राजकोषीय घाटा (आधिक्य)/जीएसडीपी	-4.49	-1.48	-1.02	-5.26	-4.48
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/जीएसडीपी	-2.89	0.01	0.37	-3.93	-2.90
IV ऋण स्थिरता					
बकाया देनदारियां/जीएसडीपी#	25.42	22.13	20.40	24.62	26.61
ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियां	8.92	7.71	6.80	6.57	7.44

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* लेखापरीक्षा के पहले के आंकड़े

बकाया देनदारियों/जीएसडीपी अनुपात की गणना ₹ 8,074.15 करोड़ (2020-21 के लिए ₹ 3,109 करोड़ और 2021-22 के लिए ₹ 4,965.15 करोड़) के बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर की गयी है।

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ: पैराग्राफ 1.1.4, 1.2.4.1 क 1.2.4.2 क)

वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए प्राप्तियों और संवितरण का सार

(₹ करोड़ में)

2023-24	प्राप्तियां	2024-25	2023-24	संवितरण	2024-25
खंड क: राजस्व					
1,03,508	I- राजस्व प्राप्तियां	1,20,290	1,14,741	I- राजस्व व्यय-	1,25,390
38,786	कर राजस्व	44,765	26,240	सामान्य सेवाएं	28,687
	---		39,412	सामाजिक सेवाएं-	51,971
15,148	गैर-कर राजस्व	17,421	19,920	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	21,708
	---		6,326	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	8,294
38,482	केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा	43,844	5,944	जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	8,434
	---		739	सूचना और प्रसारण	476
	गैर-योजना अनुदान		220	अनुसूचित जातियों, शेदुल जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	195
	राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान		581	श्रम और श्रम कल्याण	334
	---		5,649	समाज कल्याण और पोषण	12,494
	केंद्र और केंद्र प्रायोजित योजना योजनाओं के लिए अनुदान		33	अन्य	35
	---		47,791	आर्थिक सेवाएं	43,374
8,218	केंद्र प्रायोजित योजना के लिए अनुदान	11,811	33,113	कृषि और संबद्ध गतिविधियां	26,776
	---		4,518	ग्रामीण विकास	4,705
1,771	वित्त आयोग अनुदान	1,950	0	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0
	---		588	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	625
1,104	राज्य को अन्य हस्तांतरण/अनुदान	500	6,545	ऊर्जा	9,266
	---		1,108	उद्योग और खनिज	966
	---		1,727	परिवहन	792
			56	संचार	89
			13	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	14
			123	सामान्य आर्थिक सेवाएं	141
	---		1,298	सहायता अनुदान और योगदान-	1,357
11,233	II. राजस्व घाटा	5,099	0	II. राजस्व आधिक्य	0

खंड बी: पूंजी					
8,048	III. स्थायी अग्रिम और नकद शेष निवेश सहित नकद शेष खोलना	13,797	0	III. भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट खोलना	0
5	IV. विविध पूंजी प्राप्तियां	5	15,419	IV. पूंजी परिव्यय—	20,055
	---		884	सामान्य सेवाएं—	1,184
	---		7,074	सामाजिक सेवाएं—	8,422
	---		1,361	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	199
	---		581	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	678
	---		4,664	जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	7,103
	---		1	सूचना और प्रसारण	1
	---		332	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	359
	---		116	समाज कल्याण और पोषण	63
	---		19	अन्य	18
	---		7,460	आर्थिक सेवाएं	10,449
	---		187	कृषि और संबद्ध गतिविधियां	129
	---		929	ग्रामीण विकास	653
	---		0	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0
	---		1,488	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	2,005
	---		1,249	ऊर्जा	630
			69	उद्योग और खनिज	514
	---		3,475	परिवहन	6,337
			0	संचार	10
			3	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	46
	---		61	सामान्य आर्थिक सेवाएं	126
26	V. ऋण और अग्रिमों की वसूली—	23	313	V. वितरित ऋण और अग्रिम—	322
0	बिजली परियोजनाओं से	0	0	विद्युत परियोजनाओं के लिए	0
0	सरकारी कर्मचारियों से	0	0	सरकारी कर्मचारियों के लिए	0
25	दूसरों से	24	312	दूसरों के लिए	322
	VI. राजस्व आधिक्य में कमी लाई गई		11,233	VI. राजस्व घाटे में कमी आई	5,099
54,050	VII. लोक ऋण प्राप्तियां—	33,463	24,113	VII. लोक ऋण का पुनर्भुगतान—	10,871
	बाहरी ऋण			बाहरी ऋण	
50,258	तरीके और साधन के अलावा आंतरिक ऋण अग्रिम और ओवरड्राफ्ट	27,046	23,873	तरीके और साधन के अलावा आंतरिक ऋण अग्रिम और ओवरड्राफ्ट	10,626
	तरीके और साधन अग्रिम के तहत शुद्ध लेनदेन			तरीके और साधन अग्रिम के तहत शुद्ध लेनदेन	

	ओवरड्राफ्ट के तहत शुद्ध लेनदेन			ओवरड्राफ्ट के तहत शुद्ध लेनदेन	
3,791	केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम	6,417	240	केंद्र सरकार को ऋणों और अग्रिमों का पुनर्भुगतान	244
0	VIII. आकस्मिकता निधि का विनियोग	0	0	VIII. आकस्मिकता निधि का विनियोग	0
63	IX. आकस्मिकता निधि में हस्तांतरित राशि	113	77	IX. आकस्मिकता निधि से व्यय	137
15,185	X. लोक लेखा प्राप्तियां	15,718	12,425	X. सार्वजनिक खाता संवितरण—	13,267
3,222	लघु बचत और भविष्य निधि	3,420	1,700	लघु बचत और भविष्य निधि	1,740
3,082	आरक्षित निधि	3,601	1,993	आरक्षित निधि	1,477
11	सस्पेंस और विविध	2,139	67	सस्पेंस और विविध	2,053
5,309	धन—प्रेषण	2,816	5,362	प्रेषण	4,603
3,560	जमा और अग्रिम	3,741	3,302	जमा और अग्रिम	3,394
0	XI. भारतीय रिज़र्व बैंक से क्लोजिंग ओवरड्राफ्ट	0	13,797	XI. अंत में नकद शेष—	13,368
—	—		0	ट्रेजरी और स्थानीय प्रेषण में नकद	0
—	—		194	रिज़र्व बैंक के पास जमा	223
—	—		12	स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय नकद शेष	13
—	—		5,933	नकद शेष निवेश	3,731
			7,657	निर्धारित निधियों का निवेश	9,402
1,92,118	कुल	1,88,509	1,92,118	कुल	1,88,509

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.3
(संदर्भ: पैराग्राफ 1.1.5)

31 मार्च 2025 तक छत्तीसगढ़ शासन की वित्तीय स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2025 तक
	देनदारियां	
95,140	आंतरिक ऋण –	1,11,560
86,030	ब्याज वाले बाजार ऋण	1,03,030
2	बाजार ऋण पर ब्याज नहीं लगता	2
20	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	20
5,871	अन्य संस्थानों से ऋण	5,833
609	मुआवजा और अन्य बांड	522
2,607	राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	2,152
0	तरीके और साधन प्रगति	0
0	भारतीय रिज़र्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	0
18,747	केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम –	18,954
1	1984–85 से पहले के ऋण	1
1	गैर-योजना ऋण	1
1,761	राज्य योजना योजनाओं के लिए ऋण	1,517
0	केंद्रीय योजना योजनाओं के लिए ऋण	0
0	केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण	0
16,985	विधायिका योजनाओं वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ऋण	17,435
100	आकस्मिकता निधि	100
10,849	लघु बचत, भविष्य निधियां, आदि।	12,529
6,405	जमा	6,752
10,695	रिज़र्व फंड एडवांस	12,819
182	सस्पेंस और विविध संतुलन	268
0	प्रेषण शेष	0
	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	
0	व्यय की तुलना में प्राप्तियों की संचयी अधिकता	0
1,42,118	कुल	1,62,982
	संपत्ति	
1,41,143	अचल संपत्तियों पर सकल पूंजी परिव्यय –	1,61,365
7,233	कंपनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश।	7,242
1,33,910	अन्य पूंजीगत परिव्यय	1,54,123
1,665	ऋण और अग्रिम –	1,949
103	बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण	103
1,556	अन्य ऋण	1,841
6	सरकारी कर्मचारियों को ऋण और विविध ऋण	6
7	अग्रिम	7
352	प्रेषण शेष	2,139

वर्ष 2024-25 के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

0	सस्पेंस और विविध संतुलन	0
13,797	नकद —	13,368
0	ट्रेजरी और स्थानीय प्रेषण में नकद	0
194	रिज़र्व बैंक के पास जमा	223
12	स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय नकद शेष	13
0	सुरक्षा जमा	0
7,657	निर्धारित निधियों का निवेश	9,402
5,933	नकद शेष निवेश	3,731
-14,859	सरकारी खाते पर घाटा —	-15,884
	(i) चालू वर्ष का कम राजस्व आधिक्य	
	(ii) आकस्मिकता निधि का विनियोग	
-14,859	वर्ष के अंत में संचित घाटा	-15,884
13	आकस्मिकता निधि	37
1,42,118	कुल	1,62,982

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ : कंडिका- 2.5.2)

ऐसे प्रकरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ दो करोड़ या उससे अधिक)
अनावश्यक साबित हुआ

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या और नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल से बचत प्रावधान
क-राजस्व (मतदेय)					
1.	01- सामान्य प्रशासन	422.68	33.53	340.99	-81.68
2.	03 - पुलिस	7,027.07	8.11	5,882.39	-1,144.68
3.	04 - गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	110.47	13.04	88.68	-21.80
4.	07 - वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	395.95	13.46	278.96	-116.99
5.	08 - भू-राजस्व और जिला प्रशासन	1,814.11	12.40	1,433.13	-380.99
6.	10 - वन	2,713.50	74.52	1,818.20	-895.30
7.	14 - पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	507.52	22.15	459.28	-48.24
8.	15 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	203.35	2.96	131.79	-71.56
9.	17 - सहकारिता	218.27	8.72	157.22	-61.05
10.	19 - लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	4,279.85	1,030.77	3,962.69	-317.15
11.	21 - आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	260.67	2.25	213.95	-46.71
12.	24 - लोक निर्माण कार्य -सड़कें और पुल	1,047.54	150.80	856.92	-190.62
13.	25 - खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	710.84	2.10	47.57	-663.26
14.	27 - स्कूल शिक्षा	7,340.47	43.24	6,587.97	-752.50
15.	28 - राज्य विधायिका	83.51	3.05	68.67	-14.84
16.	29 - न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	916.29	37.18	871.72	-44.57
17.	30 - पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	7,001.98	124.55	5,302.20	-1,699.78
18.	31 - योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	63.83	8.67	50.72	-13.11
19.	34 - सामाजिक कल्याण	117.17	10.65	108.59	-8.58
20.	47 - तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग	406.73	12.04	303.71	-103.01
21.	66 - पिछड़ा वर्ग कल्याण	278.42	2.00	206.44	-71.99
22.	67 - लोक निर्माण कार्य-भवन	848.63	10.50	716.28	-132.36
23.	80 - त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3,990.12	18.18	3,637.36	-352.76
24.	81 - शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	2,220.14	130.00	1,837.63	-382.51
25.	82 - अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उप-योजना के तहत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	425.91	9.37	340.90	-85.01
योग		43,405.02	1,784.24	35,703.96	-7,701.06
ख-पूँजीगत (मतदेय)					
1.	01 - सामान्य प्रशासन	52.72	5.09	30.15	-22.57
2.	05 - जेल	3.54	31.66	0.89	-2.65
3.	13 - कृषि	40.75	3.76	11.20	-29.55
4.	14 - पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	5.50	2.95	4.51	-0.99
5.	20 - लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2,340.53	10.96	1,684.96	-655.57
6.	23 - जल संसाधन विभाग	705.46	65.80	536.57	-168.89
7.	29 - न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	9.33	3.71	2.26	-7.07
8.	30 - पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	780.19	15.00	448.80	-331.39
9.	33 - आदिवासी कल्याण	15.63	3.00	14.47	-1.16
10.	36 - परिवहन	11.01	13.12	10.64	-0.37
11.	41 - जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	5,314.20	163.61	3,376.27	-1,937.93
12.	55 - महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	46.71	15.00	17.40	-29.31

वर्ष 2024-25 के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

13.	64 — अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1,829.41	248.24	1,329.85	—499.56
14.	65 — विमानन विभाग	60.30	6.50	37.29	—23.02
15.	67 — लोक निर्माण-भवन	995.78	35.92	334.08	—661.70
16.	68 — जनजातीय क्षेत्र उप-योजना भवनों से संबंधित लोक निर्माण	287.57	4.75	39.96	—247.61
17.	69 — नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	539.51	40.00	218.32	—321.19
18.	79 — चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	303.24	5.00	279.08	—24.16
योग		13,341.37	674.06	8,376.68	—4,964.69
महायोग		56,746.39	2,458.29	44,080.64	—12,665.75

स्रोत : वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ : कडिका- 2.5.2)

ऐसे प्रकरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ दो करोड़ या अधिक)
अत्यधिक साबित हुआ

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या और नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल बजट	वास्तविक व्यय	अत्यधिक पूरक प्रावधान (बचत)
क-राजस्व (मतदान)						
1.	01 — सामान्य प्रशासन	422.68	33.53	456.21	340.99	-115.21
2.	02 — सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	74.10	44.30	118.40	76.88	-41.52
3.	03 — पुलिस	7,027.07	8.11	7,035.18	5,882.39	-1,152.79
4.	04 — गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	110.47	13.04	123.51	88.68	-34.84
5.	06 — वित्त विभाग से संबंधित व्यय	7,950.77	2,237.94	1,0188.71	9,134.12	-1,054.59
6.	07 — वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	395.95	13.46	409.41	278.96	-130.45
7.	08 — भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	1,814.11	12.40	1,826.51	1,433.13	-393.38
8.	10 — वन	2,713.50	74.52	2,788.02	1,818.20	-969.82
9.	11 — वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	370.59	218.69	589.28	520.84	-68.44
10.	12 — ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	3,364.01	1,763.74	5,127.74	5,080.85	-46.90
11.	13 — कृषि	6,939.73	1,013.62	7,953.35	7,370.37	-582.98
12.	14 — पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	507.52	22.15	529.67	459.28	-70.39
13.	15 — अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	203.35	2.96	206.31	131.79	-74.52
14.	17 — सहकारिता	218.27	8.72	226.99	157.22	-69.77
15.	19 — लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4,279.85	1,030.77	5,310.62	3,962.69	-1,347.93
16.	21 — आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	260.67	2.25	262.92	213.95	-48.96
17.	24 — लोक निर्माण-सड़कें और पुल	1,047.54	150.80	1,198.34	856.92	-341.42
18.	25 — खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	710.84	2.10	712.94	47.57	-665.36
19.	27 — स्कूल शिक्षा	7,340.47	43.24	7,383.71	6,587.97	-795.74
20.	28 — राज्य विधानमंडल	83.51	3.05	86.56	68.67	-17.89
21.	29 — न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	916.29	37.18	953.47	871.72	-81.75
22.	30 — पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	7,001.98	124.55	7,126.53	5,302.20	-1,824.33
23.	31 — योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	63.83	8.67	72.50	50.72	-21.78
24.	32 — जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	442.83	30.00	472.83	466.17	-6.67
25.	34 — समाज कल्याण	117.17	10.65	127.82	108.59	-19.23
26.	36 — परिवहन	140.08	55.80	195.88	150.87	-45.01
27.	39 — खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	3,015.91	1,798.54	4,814.44	4,598.61	-215.83
28.	41 — जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	26,410.76	7,003.81	33,414.57	28,392.87	-5,021.70
29.	47 — तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग	406.73	12.04	418.76	303.71	-115.05
30.	55 — महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	2,840.80	2,455.24	5,296.04	5,011.37	-284.68
31.	64 — अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	8,377.32	1,984.16	10,361.48	8,917.36	-1,444.12
32.	65 — विमानन विभाग	140.18	25.00	165.18	155.64	-9.54
33.	66 — पिछड़ा वर्ग कल्याण	278.42	2.00	280.42	206.44	-73.99
34.	67 — लोक निर्माण-भवन	848.63	10.50	859.13	716.28	-142.86

वर्ष 2024-25 के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

35.	80 – त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3,990.12	18.18	4,008.31	3,637.36	–370.95
36.	81 – शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	2,220.14	130.00	2,350.14	1,837.63	–512.51
37.	82 – जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	425.91	9.37	435.28	340.90	–94.38
योग		1,03,472.09	20,415.07	1,23,887.16	1,05,579.89	–18,307.27
ख- पूँजीगत (मतदान)						
1.	01 – सामान्य प्रशासन	52.72	5.09	57.81	30.15	–27.66
2.	03 – पुलिस	409.66	576.56	986.22	848.32	–137.90
3.	05 – जेल	3.54	31.66	35.20	0.89	–34.31
4.	11 – वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	159.71	306.27	465.98	412.26	–53.71
5.	13 – कृषि	40.75	3.76	44.51	11.20	–33.31
6.	14 – पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	5.50	2.95	8.45	4.51	–3.94
7.	19 – लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	133.31	45.47	178.78	136.31	–42.47
8.	20 – लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2,340.53	10.96	2,351.49	1,684.96	–666.53
9.	21 – आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	913.37	1,860.13	2,773.50	2,738.79	–34.71
10.	23 – जल संसाधन विभाग	705.46	65.80	771.26	532.38	–238.88
11.	24 – लोक निर्माण-सड़कें और पुल	2,423.85	1,100.00	3,523.85	2,967.99	–555.86
12.	29 – न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	9.33	3.71	13.03	2.26	–10.77
13.	30 – पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	780.19	15.00	795.19	448.80	–346.39
14.	33 – आदिवासी कल्याण	15.63	3.00	18.63	14.47	–4.16
15.	36 – परिवहन	11.01	13.12	24.13	10.64	–13.49
16.	37 – पर्यटन	119.85	97.50	217.35	125.88	–91.47
17.	41 – जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	5,314.20	163.61	5,477.81	3,376.27	–2,101.54
18.	42 – जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित सार्वजनिक कार्य उप-योजना-सड़कें और पुल	1,516.65	920.00	2,436.65	1,944.55	–492.10
19.	43 – खेल और युवा कल्याण	1.92	3.96	5.88	5.10	–0.78
20.	45 – लघु सिंचाई – कार्य	607.21	140.00	747.21	708.04	–39.17
21.	46 – विज्ञान और प्रौद्योगिकी	40.50	36.81	77.31	42.42	–34.89
22.	55 – महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	46.71	15.00	61.71	17.40	–44.31
23.	56 – ग्रामीण उद्योग	87.55	20.06	107.61	100.56	–7.05
24.	64 – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1,829.41	248.24	2,077.65	1,330.63	–747.02
25.	65 – विमानन विभाग	60.30	6.50	66.80	37.29	–29.52
26.	67 – लोक निर्माण-भवन	995.78	35.92	1,031.70	334.08	–697.62
27.	68 – जनजातीय क्षेत्र उप-योजना भवनों से संबंधित लोक निर्माण	287.57	4.75	292.32	39.96	–252.36
28.	69 – नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	539.51	40.00	579.51	218.32	–361.19
29.	79 – चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	303.24	5.00	308.24	269.77	–38.47
30.	81 – शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	525.10	261.00	786.10	775.00	–11.10
योग		20,280.05	6,041.81	26,321.86	19,169.17	–7,152.69
महायोग		1,23,752.14	26,456.88	1,50,209.02	1,24,749.06	–25,459.96

स्रोत : वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ : कंडिका- 2.5.3)

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान समर्पण (₹100 करोड़ से अधिक) के बाद बड़ी बचत वाले अनुदान

(₹करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या और नाम	कुल बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	समर्पण कर दिया	बचत (समर्पण के बाद)
क-राजस्व (मतदान)						
1.	01 - सामान्य प्रशासन	456.21	340.99	-115.21	-117.22	2.01
2.	03 - पुलिस	7,035.18	5,882.39	-1,152.79	-1,096.35	-56.44
3.	06 - वित्त विभाग से संबंधित व्यय	10,188.71	9,134.12	-1,054.59	-105.90	-948.69
4.	07 - वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	409.41	278.96	-130.45	-142.90	12.45
5.	08 - भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	1,826.51	1,433.13	-393.38	-323.08	-70.31
6.	10 - वन	2,788.02	1,818.20	-969.82	-949.12	-20.70
7.	13 - कृषि	7,953.35	7,370.37	-582.98	-574.94	-8.03
8.	19 - लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5,310.62	3,962.69	-1,347.93	-1,353.57	5.64
9.	23 - जल संसाधन विभाग	708.81	533.92	-174.89	-174.67	-0.22
10.	24 - लोक निर्माण-सड़कें और पुल	1,198.34	856.92	-341.42	-340.86	-0.56
11.	25 - खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	712.94	47.57	-665.36	-665.36	0.00
12.	27 - स्कूल शिक्षा	7,383.71	6,587.97	-795.74	-812.94	17.19
13.	30 - पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	7,126.53	5,302.20	-1,824.33	-1,776.30	-48.03
14.	33 - आदिवासी कल्याण	7,276.46	6,543.64	-732.82	-731.55	-1.27
15.	39 - खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	4,814.44	4,598.61	-215.83	-215.63	-0.20
16.	41 - जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	33,414.57	28,392.87	-5,021.70	-5,028.50	6.80
17.	44 - उच्च शिक्षा	1,038.23	879.33	-158.91	-156.74	-2.16
18.	47 - तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग	418.76	303.71	-115.05	-115.33	0.28
19.	55 - महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	5,296.04	5,011.37	-284.68	-284.77	0.10
20.	58 - प्राकृतिक आपदाओं और कमी के कारण राहत पर व्यय	1,252.69	1,004.07	-248.62	-239.70	-8.92
21.	64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	10,361.48	8,917.36	-1,444.12	-1,460.29	16.17
22.	67 - लोक निर्माण-भवन	859.13	716.28	-142.86	-32.08	-110.77
23.	69 - नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	1,557.19	736.26	-820.93	-820.93	0.00
24.	79 - चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	1,485.62	1,022.56	-463.06	-463.30	0.24
25.	80 - त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	4,008.31	3,637.36	-370.95	-370.57	-0.38
26.	81 - शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	2,350.14	1,837.63	-512.51	-512.51	0.00
योग		1,27,231.40	1,07,150.47	-20,080.93	-18,865.13	-1,215.80
ख- पूँजीगत (मतदान)						
1.	03 - पुलिस	986.22	848.32	-137.90	-137.90	0.00
2.	08 - भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	258.46	108.54	-149.92	-146.43	-3.49
3.	10 - वन	118.81	7.42	-111.38	-111.39	0.00
4.	12 - ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	626.56	315.54	-311.02	-311.02	0.00
5.	20 - लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2,351.49	1,684.96	-666.53	-666.40	-0.13
6.	23 - जल संसाधन विभाग	771.26	536.57	-234.69	-234.76	0.07

वर्ष 2024-25 के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

7.	24 – लोक निर्माण-सड़कें और पुल	3,523.85	2,967.99	-555.86	-558.97	3.10
8.	25 – खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	630.25	428.94	-201.31	-201.31	0.00
9.	30 – पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	795.19	448.80	-346.39	-294.21	-52.18
10.	41 – जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	5,477.81	3,376.27	-2,101.54	-1,971.78	-129.76
11.	42 – जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित सार्वजनिक कार्य उप-योजना-सड़कें और पुल	2,436.65	1,944.55	-492.10	-493.84	1.74
12.	58 – प्राकृतिक आपदाओं और कमी के कारण राहत पर व्यय	180.70	0.25	-180.45	-180.45	0.00
13.	64 – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	2,077.65	1,329.85	-747.80	-711.49	-36.31
14.	67 – लोक निर्माण-भवन	1,031.70	334.08	-697.62	-668.28	-29.34
15.	68 – जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-भवनों से संबंधित लोक निर्माण	292.32	39.96	-252.36	-223.41	-28.95
16.	69 – नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	579.51	218.32	-361.19	-361.19	0.00
17.	75 – जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाएं	353.01	246.97	-106.04	-105.99	-0.04
18.	76 – लोक निर्माण विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	575.62	341.15	-234.47	-227.63	-6.85
योग		23,091.11	15,188.80	-7,902.31	-7,770.04	-132.27
महायोग		1,27,231.40	1,22,339.27	-27,983.24	-26,635.17	-1,348.07

स्रोत : वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ : कंडिका- 2.5.3)

वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निरंतर बचत (₹100 करोड़ रुपये से अधिक) वाले अनुदान
(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या/विभाग का नाम	बचत		
		वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25
राजस्व (क)				
1.	03 – पुलिस	–729.7	–940.75	–1,152.79
2.	08 – भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	–355.42	–200.3	–393.38
3.	10 – वन	–257.01	–460.62	–969.82
4.	13– कृषि	–442	–450.39	–582.98
5.	19 – लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	–477.98	–775.7	–1,347.93
6.	23– जल संसाधन विभाग	–131.62	–155.46	–174.89
7.	24 – लोक निर्माण–सड़कें और पुल	–537.56	–171.23	–341.42
8.	27 – स्कूल शिक्षा	–433.16	–827.66	–795.74
9.	30 – पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	–894.24	–1,888.7	–1,824.33
10.	39 – खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	–246.51	–462.01	–215.83
11.	41 – जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	–2,328.29	–4,001.96	–5,021.70
12.	47 – तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग	–128.49	–276.88	–115.05
13.	55 – महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	–389.41	–262.4	–284.68
14.	58 – प्राकृतिक आपदाओं और कमी के कारण राहत पर व्यय	–515.61	–556.21	–248.62
15.	64 – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	–735.62	–1,291.1	–1,444.12
16.	67 – लोक निर्माण–भवन	–123	–143.17	–142.86
17.	69 – नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय कल्याण	–151.93	–472.11	–820.93
18.	79 – चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	–233.88	–334.56	–463.06
19.	80 – त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों को वित्तीय सहायता	–279.25	–102.98	–370.95
20.	81 – शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	–108.44	–346.25	–512.51
योग		–9,499.12	–14,120.40	–17,223.59
पूँजीगत (ख)				
1.	08 – भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	–139.33	–169.42	–149.92
2.	23 – जल संसाधन विभाग	–305.05	–182.44	–234.69
3.	24 – लोक निर्माण–सड़कें और पुल	–388.08	–540.59	–555.86
4.	41 – जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	–769.8	–1,808.9	–2,101.54
5.	42 – जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित सार्वजनिक कार्य उप-योजना–सड़कें और पुल	–561.61	–422.31	–492.10
6.	64 – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	–272.74	–629.36	–747.80
7.	67 – लोक निर्माण–भवन	–350.01	–290.16	–697.62
8.	75 – जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाएं	–524.91	–411.99	–106.04
9.	76 – लोक निर्माण विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	–158.43	–339.27	–234.47
योग		–3,469.96	–4,794.44	–5,320.04
महायोग		–12,969.08	–18,914.84	–22,543.63

स्रोत : विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ : कंडिका- 2.5.3)

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बजट और बचत के उपयोग का अनुदान-वार प्रतिशत

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या और नाम	कुल बजट	कुल व्यय	बचत (-)/ अतिरिक्त (+)	प्रयोग का प्रतिशत	प्रयोग की सीमा (प्रतिशत)
1.	09 - राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	30.23	7.63	-22.60	25.25	50 तक
2.	25 - खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	1,343.39	476.71	-866.68	35.49	
3.	35 - पुनर्वास	2.75	0.87	-1.88	31.74	
4.	49 - अनुसूचित जाति कल्याण	2.86	1.01	-1.85	35.25	
5.	50 - 20 सूत्रीय कार्यक्रमों को लागू करने वाले विभागों से संबंधित व्यय	4.49	2.01	-2.48	44.83	
6.	51 - धार्मिक ट्रस्ट और बंदोबस्ती	49.20	13.84	-35.36	28.13	
7.	57 - जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	57.00	7.04	-49.96	12.35	
8.	68 - जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-भवनों से संबंधित लोक निर्माण	292.32	39.96	-252.36	13.67	
9.	69 - नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	2,136.70	954.58	-1,182.12	44.68	
10.	71 - सूचना प्रौद्योगिकी और जैव-प्रौद्योगिकी	267.26	93.69	-173.57	35.06	
कुल (1)		4,186.20	1,597.35	-2,588.85		

1.	01 - सामान्य प्रशासन	564.52	409.73	-154.79	72.58	>50 से 75
2.	02 - सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	118.48	76.95	-41.53	64.95	
3.	04- गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	146.59	101.73	-44.86	69.40	
4.	05 - जेल	270.42	181.56	-88.86	67.14	
5.	07 - वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	525.81	379.65	-146.17	72.20	
6.	08 - भू-राजस्व और जिला प्रशासन	2,085.12	1,541.66	-543.46	73.94	
7.	10 - वन	2,912.24	1,826.97	-1,085.27	62.73	
8.	15 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	237.31	162.79	-74.52	68.60	
9.	16 - मत्स्य पालन	106.20	75.32	-30.88	70.92	
10.	17 - सहयोग	263.66	175.22	-88.44	66.46	
11.	18 - श्रम	243.36	171.20	-72.15	70.35	
12.	19 - लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5,490.85	4,099.87	-1,390.98	74.67	
13.	20 - सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	2,688.94	1,951.67	-737.27	72.58	
14.	23 - जल संसाधन विभाग	1,481.58	1,071.19	-410.39	72.30	
15.	26 - संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	91.22	61.59	-29.63	67.52	
16.	30 - पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	7,922.00	5,751.09	-2,170.91	72.60	
17.	31 - योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	72.85	50.78	-22.07	69.70	
18.	36 - परिवहन	221.70	161.55	-60.15	72.87	
19.	37 - पर्यटन	315.54	184.84	-130.71	58.58	
20.	43 - खेल और युवा कल्याण	78.15	46.34	-31.81	59.29	
21.	46 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी	97.01	55.64	-41.37	57.35	
22.	47 - तकनीकी शिक्षा एवं जन शक्ति नियोजन विभाग	445.23	318.96	-126.27	71.64	
23.	58 - प्राकृतिक आपदाओं और कमी के कारण राहत पर व्यय	1,433.39	1,004.32	-429.07	70.07	

24.	66 – पिछड़ा वर्ग कल्याण	307.91	219.69	–88.23	71.35	
25.	67 – लोक निर्माण भवन	1,892.42	1,051.85	–840.57	55.58	
26.	75 – जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	353.01	246.97	–106.04	69.96	
27.	76 – लोक निर्माण विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	575.62	341.15	–234.47	59.27	
28.	79 – चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	1,793.88	1,301.64	–492.24	72.56	
कुल (2)		32,735.03	23,021.91	–9,713.12		

1.	03 – पुलिस	8,022.67	6,732.04	–1,290.63	83.91	>75 से 90
2.	06 – वित्त विभाग से संबंधित व्यय	10,196.90	9,137.42	–1,059.48	89.61	
3.	11 – वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	1,055.32	933.10	–122.22	88.42	
4.	14 – पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	538.75	464.31	–74.44	86.18	
5.	22 – नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय निकाय	44.05	38.56	–5.48	87.55	
6.	24 – लोक निर्माण–सड़कें और पुल	4,742.69	3,833.63	–909.06	80.83	
7.	27 – स्कूल शिक्षा	7,447.16	6,640.23	–806.93	89.16	
8.	28 – राज्य विधानमंडल	88.74	69.86	–18.88	78.72	
9.	29 – न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	1,116.27	992.22	–124.05	88.89	
10.	33 – आदिवासी कल्याण	7,295.43	6,558.10	–737.32	89.89	
11.	34 – समाज कल्याण	134.25	114.06	–20.20	84.96	
12.	41 – जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	38,893.48	31,770.03	–7,123.45	81.68	
13.	42 – जनजातीय क्षेत्र उप-योजना सड़कों और पुलों से संबंधित सार्वजनिक कार्य	2,437.60	1,944.55	–493.05	79.77	
14.	44 – उच्च शिक्षा	1,050.47	882.47	–168.00	84.01	
15.	54 – कृषि अनुसंधान और शिक्षा से संबंधित व्यय	420.83	322.03	–98.80	76.52	
16.	56 – ग्रामीण उद्योग	237.55	208.02	–29.53	87.57	
17.	64 – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	12,439.13	10,247.21	–2,191.92	82.38	
18.	65 – विमानन विभाग	231.98	192.93	–39.06	83.16	
19.	81 – शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	3,236.24	2,712.63	–523.61	83.82	
20.	82 – जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	512.78	418.40	–94.38	81.59	
कुल (3)		1,00,142.28	84,211.80	–15,930.48		

1.	12 – ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	6,094.31	5,736.39	–357.92	94.13	>90 से
2.	13 – कृषि	7,998.40	7,382.05	–616.35	92.29	
3.	21 – आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	3,036.41	2,952.74	–83.68	97.24	
4.	32 – जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	473.87	467.05	–6.82	98.56	
5.	39 – खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	4,832.73	4,599.63	–233.10	95.18	

वर्ष 2024-25 के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

6.	45 – लघु सिंचाई कार्य	838.22	786.94	—51.28	93.88	100
7.	53 – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	180.79	175.37	—5.43	97.00	
8.	55 – महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	5,357.76	5,028.82	—328.94	93.86	
9.	60 – जिला योजना स्कीमों से संबंधित व्यय	208.53	202.98	—5.55	97.34	
10.	80 – त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	4,124.81	3,753.85	—370.96	91.01	
11.	83 – वित्तीय सहायता जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-शहरी निकाय	215.94	211.15	—4.79	97.78	
कुल (4)		33,361.77	31,296.96	—2,064.80		

1.	CH1 – ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9,360.44	10,870.67	+1,510.23	116	>=100
2.	CH2 – लोक ऋण	8,679.55	8,706.62	+27.07	100	
कुल (5)		18,039.99	19,577.29	+1,537.30		
कुल (1+2+3+4+5)		1,88,465.26	1,59,705.33	—28,759.93		

स्रोत : वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ : कंडिका- 2.5.5)

2024-25 के दौरान बिना किसी व्यय के नई नीतिगत पहल

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	योजना का शीर्ष और नई योजना का नाम	बजट प्रावधान	व्यय
1.	7043 — छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर न्यायाधिकरण	5.00	0.00
2.	7044 — उद्यम पुनर्वोधन योजना	1.00	0.00
3.	7046 — एकीकृत वित्तीय प्रबंधन और सूचना प्रणाली 2.0	11.00	0.00
4.	7062 — पीएम वाणी परियोजना	37.00	0.00
5.	7069 — मधुमक्खी पालन के माध्यम से परागण योजना	0.25	0.00
6.	7070 — कृषि अभियांत्रिकी निदेशालय	0.50	0.00
7.	7071 — यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो अधिनियम 2012)	3.30	0.00
8.	7078 — उपभोक्ता कल्याण अंशदान (कॉर्पस) फंड	20.00	0.00
9.	7084 — युवा रत्न सम्मान योजना	1.50	0.00
10.	7086 — पंचायतों में (फाइबर टू द होम) एफ.टी.टी.एच. के लिए सहायता	15.00	0.00
11.	7087 — नवाचार संवर्धन और नई तकनीक	5.00	0.00
12.	7088 — संचार सुविधा के लिए सहायता	0.30	0.00
13.	7101 — सी.जी.आई.टी. की स्थापना	7.50	0.00
14.	7108 — छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन	1.00	0.00
15.	7110 — ग्रिड से जुड़ा सोलर रूफटॉप प्रोग्राम	50.00	0.00
16.	7112 — शहरी कार्य पर्यवेक्षण और मूल्यांकन प्रणाली	2.00	0.00
17.	7121 — प्रशासनिक व्यय	0.87	0.00
18.	7153 — राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद	0.50	0.00
19.	7154 — प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान कार्यक्रम	2.72	0.00
20.	7157 — स्मार्ट गवर्नेंस के लिए केंद्र	0.50	0.00
21.	7061 — सौर सामुदायिक सिंचाई योजना	30.00	0.00
22.	7072 — स्मार्ट मीटर परीक्षण बेंच की स्थापना	9.27	0.00
23.	7081 — छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (सीआईएमएस) सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल	50.00	0.00
24.	7085 — एल्युमिनियम पार्क की स्थापना	5.00	0.00
25.	7114 — पॉलिटेक्निक संस्थानों की प्रयोगशालाओं का उन्नयन (सीटी-191)	2.20	0.00
कुल		261.41	0.00

स्रोत : वित्त वर्ष 2024-25 के विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ : कड़िका- 2.5.6)

अनुदान-वार उप-शीर्ष जहां मार्च 2025 में बजट प्रावधानों (₹ 50 करोड़ से अधिक) के मुकाबले पूरा खर्च किया गया था

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	लेखा प्रमुख	योजना का नाम	बजट के प्रकार		वास्तविक व्यय मार्च के दौरान
				मूल बजट	अनुपूरक बजट	
1.	12	2801-101-101-7620	बिजली शुल्क में राहत के लिए उपभोक्ता को सब्सिडी	0.00	163.49	163.49
2.	20	4215-102-704-6383	जल जीवन मिशन योजना	899.76	0.00	899.76
3.	39	2408-102-101-3229	सिविल खाद्य निगम को खरीदी में खाद्य हानि के लिए मुआवजा	6.50	43.50	50.00
4.	39	2408-101-101-3248	राज्य निगम विपणन संघ को खरीदी में खाद्य हानि के लिए मुआवजा	0.00	300.00	300.00
5.	41	4225-102-1002-5480	जनजातीय क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार अनुच्छेद 275(प)	80.00	0.00	80.00
6.	41	2408-101-102-6839	मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना	0.00	708.32	708.32
7.	41	5054-337-702-7064	पीएम जन मन सड़कों का निर्माण	180.00	0.00	180.00
8.	41	5054-337-705-7064	पीएम जन मन सड़कों का निर्माण	120.00	0.00	120.00
9.	41	2801-101-102-7620	बिजली शुल्क में राहत के लिए उपभोक्ता को सब्सिडी	0.00	124.25	124.25
10.	79	4210-110-311-6385	मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल	50.00	0.00	50.00
11.	80	3604-197-480-4610	स्टांप शुल्क की वसूली के लिए पंचायतों को अनुदान	70.00	0.00	70.00
कुल				1,406.26	1,339.56	2,745.82

स्रोत : वित्त वर्ष 2024-25 के विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ : कंडिका- 2.5.6)

2024-25 के दौरान सभी प्रमुख मदों के लिए तिमाहीवार व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	मेजर हेड	विवरण	2024-25 के दौरान आवंटन	व्यय					2024-25 के दौरान कुल व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चौथी तिमाही में व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में मार्च 2025 में व्यय
				पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	मार्च में			
1.	2011	संसद/राज्य/संघ	87.74	16.51	14.14	16.41	21.82	10.74	68.88	31.68	15.60
2.	2012	राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक	19.78	3.59	3.30	3.39	4.10	1.17	14.38	28.52	8.15
3.	2013	मंत्रिपरिषद	110.15	8.52	11.59	14.73	34.04	22.69	68.88	49.42	32.94
4.	2014	न्याय प्रशासन	702.99	164.86	156.29	161.40	141.61	26.43	624.16	22.69	4.23
5.	2029	भू-राजस्व	1315.61	136.16	99.79	125.39	648.12	86.99	1009.45	64.21	8.62
6.	2030	टिकटें और पंजीकरण	187.89	16.18	6.52	15.94	88.13	81.93	126.77	69.52	64.63
7.	2039	राज्य आबकारी	151.95	29.75	17.31	34.09	32.98	5.52	114.14	28.90	4.84
8.	2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	149.73	27.95	24.52	28.06	27.72	9.74	108.25	25.61	9.00
9.	2041	वाहनों पर कर	165.95	25.74	43.44	12.14	45.51	38.27	126.83	35.89	30.17
10.	2045	अन्य कर और शुल्क वस्तुओं और सेवाओं पर	355.00	3.49	2.26	2.74	2.24	0.47	10.73	20.87	4.35
11.	2048	ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोग	480.00	35.00	0.00	0.00	445.00	445.00	480.00	92.71	92.71
12.	2051	लोक सेवा आयोग	29.83	4.82	2.04	7.64	8.89	0.39	23.40	38.01	1.66
13.	2052	सचिवालय - सामान्य सेवाएं	442.45	69.15	68.07	78.90	131.76	66.91	347.88	37.88	19.23
14.	2053	जिला प्रशासन	510.00	121.42	94.47	110.93	95.95	34.16	422.77	22.70	8.08
15.	2054	ट्रेजरी और अकाउंट्स प्रशासन	144.61	28.62	21.57	25.19	25.89	4.75	101.26	25.57	4.69
16.	2055	पुलिस	6,732.14	1,625.72	1,175.20	1,615.23	1,261.05	429.79	5,677.20	22.21	7.57
17.	2056	जेलें	235.22	43.35	40.18	43.33	53.81	28.85	180.67	29.79	15.97
18.	2058	स्टेशनरी और प्रिंटिंग	26.30	1.70	1.07	2.60	2.12	0.70	7.49	28.28	9.28
19.	2059	लोक निर्माण	787.54	227.54	151.88	157.09	129.47	37.62	665.98	19.44	5.65
20.	2062	सतर्कता	8.96	1.78	1.34	1.67	1.34	0.27	6.13	21.84	4.38
21.	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	380.51	62.28	52.84	62.28	50.83	17.64	228.23	22.27	7.73
22.	2071	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	9,517.03	2,768.96	3,269.33	2,488.98	1,772.05	38.85	10,299.32	17.21	0.38
23.	2075	विविध जनरल सेवाएं	485.96	0.00	435.14	0.02	50.32	0.11	485.48	10.36	0.02
24.	2202	सामान्य शिक्षा	24,181.55	6,175.02	4,278.00	6,201.76	4,819.66	1,304.00	21,474.43	22.44	6.07
25.	2203	तकनीकी शिक्षा	317.32	59.78	61.78	62.11	57.52	22.52	241.19	23.85	9.34
26.	2204	खेल और युवा सेवाएं	137.20	8.35	13.75	16.45	52.38	34.29	90.94	57.60	37.71
27.	2205	कला और संस्कृति	83.93	4.43	6.81	15.79	38.68	29.81	65.71	58.86	45.37
28.	2210	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	11,000.47	1,426.27	1,394.27	1,832.99	3,335.03	1,654.31	7,988.57	41.75	20.71
29.	2211	परिवार कल्याण	440.70	118.75	68.33	86.03	54.68	8.47	327.79	16.68	2.58
30.	2215	जल आपूर्ति और स्वच्छता	781.33	78.53	62.51	90.98	73.01	21.05	305.02	23.93	6.90
31.	2216	प्लैट आदि	8,400.70	53.17	2,795.29	2,614.92	1,255.84	1,085.86	6,719.22	18.69	16.16
32.	2217	शहरी विकास	3,244.90	35.21	453.41	401.98	548.77	343.34	1,439.37	38.13	23.85
33.	2220	सूचना और प्रचार	482.83	8.43	120.19	100.60	246.79	148.49	476.00	51.85	31.20
34.	2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	487.41	34.09	24.80	63.52	78.42	49.85	200.84	39.05	24.82
35.	2230	श्रम, रोजगार और कौशल विकास	498.43	75.44	80.97	79.26	98.43	36.26	334.10	29.46	10.85
36.	2235	सामाजिक सुरक्षा और	11,520.00	2,715.51	2,640.25	2,732.95	3,042.37	1,268.29	11,131.08	27.33	11.39

वर्ष 2024-25 के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

		कल्याण									
37.	2236	पोषाहार	840.56	151.42	234.20	124.43	160.81	33.55	670.86	23.97	5.00
38.	2245	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	1,252.69	31.59	172.81	182.70	605.88	563.57	992.99	61.02	56.75
39.	2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	18.84	0.00	0.09	0.53	12.62	6.63	13.24	95.28	50.05
40.	2251	सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	28.52	6.71	5.27	5.58	4.08	1.10	21.64	18.85	5.07
41.	2401	फसल पालन	14,729.64	240.76	321.55	449.79	12898.97	2,580.49	13,911.07	92.72	18.55
42.	2402	मृदा और जल संरक्षण	212.71	14.70	8.63	11.72	19.88	10.93	54.93	36.19	19.91
43.	2403	पशुपालन	587.22	122.26	97.51	131.93	150.35	70.40	502.05	29.95	14.02
44.	2405	मत्स्य पालन	221.45	12.79	17.26	36.96	61.97	37.56	128.97	48.05	29.12
45.	2406	वानिकी और वन्य जीवन	3,254.58	212.22	241.01	427.43	1,250.37	348.52	2,131.04	58.67	16.35
46.	2408	खाद्य, भंडारण और भंडारण	10,470.50	165.62	2,173.04	1,871.48	5,832.88	4,115.19	10,043.03	58.08	40.98
47.	2415	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	341.14	70.57	70.48	70.69	67.62	38.47	279.36	24.20	13.77
48.	2425	सहयोग	381.50	16.10	13.20	27.25	208.90	197.22	265.45	78.70	74.30
49.	2501	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	860.76	82.43	22.94	237.48	311.72	246.61	654.57	47.62	37.68
50.	2505	ग्रामीण रोजगार	2,788.32	63.64	389.77	482.87	242.32	118.62	1178.60	20.56	10.06
51.	2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3,485.42	318.80	885.11	786.23	1,131.31	759.26	3,121.46	36.24	24.32
52.	2700	प्रमुख सिंचाई	124.73	14.37	31.04	34.10	36.14	18.02	115.66	31.25	15.58
53.	2701	मध्यम सिंचाई	584.09	116.52	91.70	111.48	98.55	28.86	418.26	23.56	6.90
54.	2702	लघु सिंचाई	106.15	9.04	18.96	25.19	37.53	21.40	90.72	41.37	23.59
55.	2801	शक्ति	9,209.58	1,328.40	1,673.81	1,564.18	4,642.98	3,439.64	9,209.37	50.42	37.35
56.	2810	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	168.25	0.00	0.00	66.45	23.30	13.05	89.75	25.96	14.54
57.	2851	ग्राम और लघु उद्योग	275.94	39.26	56.10	67.45	75.96	45.68	238.77	31.81	19.13
58.	2852	उद्योगों	819.91	3.19	200.62	28.34	449.08	433.36	681.22	65.92	63.62
59.	2853	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	952.66	14.61	9.93	13.95	9.27	1.86	47.77	19.41	3.90
60.	3053	नागरिक उड्डयन	10.55	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00
61.	3054	सड़कें और पुल	1,007.79	77.69	136.64	100.28	477.37	284.35	791.98	60.28	35.90
62.	3275	अन्य संचार सेवाएं	186.26	13.04	16.42	3.80	55.65	45.18	88.91	62.59	50.81
63.	3425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	20.80	2.88	1.55	4.89	4.77	1.82	14.08	33.88	12.93
64.	3451	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	49.60	10.60	6.09	6.98	13.60	0.74	37.28	36.49	1.98
65.	3452	पर्यटन-व्यवसाय	98.19	0.00	24.78	7.85	26.33	6.33	58.96	44.65	10.73
66.	3454	जनगणना, सर्वेक्षण और स्टैटिस्टिक्स	51.22	10.51	7.72	9.27	7.69	2.40	35.19	21.86	6.81
67.	3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	14.10	3.25	1.67	2.91	1.90	0.25	9.73	19.49	2.56
68.	3604	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और कार्यभार	1,427.32	303.75	239.17	337.45	546.94	70.00	1,427.32	38.32	4.90
69.	4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	991.76	8.51	38.61	71.89	734.58	659.11	853.59	86.06	77.22
70.	4058	स्टेशनरी और प्रिंटिंग पर पूंजीगत परिव्यय	3.94	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	100.00	0.00
71.	4059	लोक निर्माण पूंजी पर पूंजीगत परिव्यय	823.50	68.36	65.79	50.27	155.29	67.71	339.72	45.71	19.93
72.	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर कार्य पूंजीगत परिव्यय	107.39	0.56	24.86	6.00	22.55	18.77	53.97	41.78	34.79
73.	4202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति महत्वपूर्ण कार्यक्रम पर परिव्यय,	820.89	35.79	38.91	122.56	187.81	111.04	385.07	48.77	28.84
74.	4210	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत	1,063.76	60.09	85.97	65.54	480.04	412.62	691.65	69.41	59.66

		परिव्यय									
75.	4215	जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	4,813.57	23.22	1,617.79	10.19	1,778.16	1,762.18	3,429.37	51.85	51.39
76.	4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	897.60	7.55	61.03	8.00	763.33	762.11	839.90	90.88	90.74
77.	4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	3,564.14	383.13	535.24	340.59	1,574.93	1,129.93	2,833.89	55.57	39.87
78.	4220	सूचना और प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	1.04	0.00	0.00	0.00	0.89	0.39	0.89	100.00	44.11
79.	4225	अनुसूचित जातियां, अनुसूचित अन्य पिछड़े हुए जनजातियाँ वर्ग और अल्पसंख्यक के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	818.67	2.50	3.79	4.17	349.00	285.56	359.46	97.09	79.44
80.	4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	132.64	0.00	0.00	12.40	50.91	42.45	63.32	80.41	67.05
81.	4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	337.05	1.25	4.07	3.86	8.59	2.99	17.77	48.33	16.82
82.	4401	फसल पालन पर पूंजीगत परिव्यय	57.94	0.23	0.16	0.00	7.34	6.59	7.73	94.92	85.22
83.	4402	मृदा और जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	20.00	5.05	1.98	2.50	9.96	4.69	19.49	51.09	24.05
84.	4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	12.55	0.00	0.00	0.03	4.92	3.83	4.95	99.36	77.35
85.	4405	मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	8.81	0.06	0.00	0.00	1.71	1.14	1.77	96.58	64.51
86.	4406	वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	130.29	0.00	1.55	1.45	9.22	6.07	12.22	75.46	49.63
87.	4408	खाद्य भंडारण और भंडारण पर पूंजीगत परिव्यय	1.83	0.00	0.00	0.00	0.96	0.86	0.96	100.00	89.72
88.	4415	कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	118.34	1.25	26.28	1.50	33.94	13.54	62.96	53.90	21.51
89.	4425	सहयोग पर पूंजीगत परिव्यय	42.42	0.00	9.32	-0.09	8.12	9.08	17.35	46.80	52.33
90.	4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	666.84	0.99	88.02	191.78	379.32	279.66	660.11	57.46	42.37
91.	4700	प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	953.91	116.18	135.65	72.03	241.54	104.56	565.39	42.72	18.49
92.	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	177.78	21.42	18.38	9.41	56.24	34.04	105.45	53.33	32.28
93.	4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—	1,386.44	182.69	481.16	112.99	482.27	306.81	1,259.11	38.30	24.37
94.	4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	85.50	16.12	12.39	11.22	35.75	27.94	75.49	47.36	37.01
95.	4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	948.21	0.00	226.56	37.11	325.27	89.00	588.94	55.23	15.11
96.	4810	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय	711.20	0.00	0.00	117.00	125.20	125.20	242.20	51.69	51.69
97.	4851	ग्राम और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	577.82	0.02	132.97	10.44	368.78	356.72	512.21	72.00	69.64
98.	4853	अलौह खनन और	445.25	0.00	0.04	0.74	428.16	127.92	428.94	99.82	29.82

वर्ष 2024-25 के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

		धातुकम उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय									
99.	5053	नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय	68.10	2.01	4.61	0.45	30.53	18.05	37.60	81.20	48.00
100.	5054	सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय—	8,663.37	1,006.57	603.32	966.87	4,016.03	3,328.48	6,592.79	60.92	50.49
101.	5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	24.13	1.36	0.00	0.20	9.08	8.54	10.64	85.34	80.33
102.	5275	अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	85.78	0.00	0.00	0.00	9.56	9.56	9.56	100.00	100.00
103.	5425	अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	81.81	0.00	0.40	2.25	43.73	5.85	46.38	94.29	12.60
104.	5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	217.35	0.00	13.38	97.53	14.98	0.35	125.88	11.90	0.28
105.	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.49	0.00	0.00	0.07	0.06	0.06	0.13	49.41	49.41
106.	6215	जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए ऋण	26.50	0.00	4.00	12.16	1.05	0.00	17.21	6.12	0.00
107.	6217	शहरी विकास के लिए ऋण	193.05	0.00	190.74	0.25	65.46	63.50	256.45	25.53	24.76
108.	6245	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के लिए ऋण	0.20	0.00	35.00	13.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00

स्रोत : वीएलसी से संकलित जानकारी

परिशिष्ट : 3.1

(संदर्भ : कंडिका 3.11)

31 मार्च 2025 तक स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के खातों के बकाया का विवरण

क्रम संख्या	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जहां तक के खातों को प्रस्तुत किया गया था	लंबित खातों की संख्या
1	छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड	2008-09 की स्थापना के बाद से प्राप्त नहीं हुआ	16
2	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कबीरधाम	2022-23	1
3	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर	2018-19	5
4	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग	2019-20	4
5	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजनांदगांव	2017-18	6
6	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दंतेवाड़ा	2022-23	1
7	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलरामपुर	2012 में स्थापित, अभी तक लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये	13
8	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धमतरी	2021-22	2
9	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर	2019-20	4
10	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सरगुजा (अंबिकापुर)	2020-21 से 2021-22 और 2024-25 के प्राप्त नहीं हुए	2
11	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कांकेर	2022-23	1
12	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा	2016-17	7
13	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरिया (बैकुंठपुर)	2016-17	7
14	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरजपुर	2022-23	1
15	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्तर (जगदलपुर)	2020-21	3
16	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुंगेली	2022-23	1
17	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलौदा बाजार	2016-17	7
18	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोंडागांव	2016-17	7
19	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा	2019-20	4
20	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़	2019-20	4
21	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोद	2022-23	1
22	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जाजगीर चंपा	2022-23	1
23	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुंद	2019-20	4
24	उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर	2019-20	4
कुल			106

स्रोत : विभागीय डेटा/जानकारी

परिशिष्ट : 3.2

(संदर्भ : कड़िका 3.12)

दुर्विनियोग, हानि, चोरी आदि के लंबित प्रकरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग/निगम का नाम (मुख्य शीर्ष)	दुर्विनियोजन / हानि/ चोरी के मामले		दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लंबित मामलों के अंतिम निपटान में विलंब के कारण					
			विभागीय और आपराधिक जांच की प्रतीक्षा		विभागीय कार्रवाई शुरू हुई लेकिन अंतिम रूप नहीं		आपराधिक कार्यवाही को अंतिम रूप दिया गया लेकिन राशि की वसूली लंबित	
			प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
न्यायिक विभाग (एमएच-2014)	6	0.08	—	—	6	0.08	—	—
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग (एमएच-2029)	12	0.02	3	0.00	7	0.02	2	0.00
राज्य आबकारी विभाग। (एमएच-2039)	1	0.00	—	—	1	0.00	—	—
सामान्य प्रशासन विभाग (एमएच-2053)	5	0.01	—	—	5	0.01	—	—
वित्त विभाग (एमएच-2054)	5	0.12	—	—	5	0.12	—	—
गृह विभाग (पुलिस) (एमएच-2055)	302	0.77	49	0.10	244	0.62	9	0.04
लोक निर्माण विभाग (एमएच-2059)	472	100.45	363	86.12	109	14.33	—	—
उच्च शिक्षा विभाग। (एमएच-2202)	16	0.14	5	0.01	11	0.13	—	—
स्कूल शिक्षा (एमएच-2202)	58	2.36	5	0.37	53	1.99	—	—
कला और संस्कृति विभाग (एमएच-2205)	2	0.01	—	—	2	0.01	—	—
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (एमएच-2210)	19	0.46	—	—	19	0.46	—	—
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (एमएच-2211)	11	0.01	1	0.00	10	0.01	—	—
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (एमएच-2215)	1	1.90	—	—	1	1.90	—	—
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग का कल्याण विभाग (एमएच-2225)	15	0.23	2	0.01	13	0.22	—	—
श्रम एवं रोजगार (एमएच-2230)	23	0.55	—	—	22	0.53	1	0.02
पंचायती राज और समाज कल्याण विभाग (एमएच-2235)	2	0.01	—	—	2	0.01	—	—
महिला एवं बाल विकास (एमएच-2235)	3	0.04	1	0.00	2	0.04	—	—
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग (एमएच-2245)	2	0.00	—	—	2	0.00	—	—
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग (एमएच-2401)	3	0.01	1	0.00	2	0.00	—	—
पशुपालन विभाग (एमएच -2403)	221	0.24	163	0.11	58	0.13	—	—
डेयरी विकास विभाग (एमएच-2404)	2	0.00	—	—	2	0.00	—	—
वन और जलवायु परिवर्तन विभाग (एमएच-2406)	946	8.79	124	1.27	821	7.52	1	0.00
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (एमएच-2408)	5	0.40	1	0.00	4	0.40	—	—
सहकारिता विभाग (एमएच-2425)	1	0.96	—	—	1	0.96	—	—
ग्रामीण विकास विभाग (एमएच-2501)	20	0.18	11	0.05	9	0.13	—	—
ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं (एमएच-2515)	2	0.04	1	0.00	1	0.04	—	—
जल संसाधन विभाग (एमएच-2701)	22	6.90	5	0.01	17	6.90	—	—
हथकरघा एवं वस्त्र विभाग (एमएच-2851)	1	0.03	—	—	1	0.03	—	—
खान और भूविज्ञान विभाग (एमएच-2853)	2	0.00	—	—	2	0.00	—	—
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग (एमएच-3454)	1	0.00	—	—	1	0.00	—	—
कुल	2,181	124.72	735	88.06	1,433	36.60	13	0.06

स्रोत : विभागीय डेटा/जानकारी

नोट: राशि ₹0.00 राशि को करोड़ों में पूर्णांकित करने के कारण दिख रहा है।